बिहार में सहकारी समितियों द्वारा लिया गया ऋण

1623. श्री क० मि० मधुकर : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में बिहार में सहकारी समितियों ने अन्य राज्यों की तुलना में कितना ऋण लिया ;

(ख) क्या बिहार में व्याप्त अकाल को दृष्टि में रखते हुए, सरकार का विचार सहकारी समितियों के माध्यम से पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक धन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1967-68 के लिये बिहार में सहकारी समितियों को केन्द्रीय सरकार कितना ऋण दे रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 30 जून, 1967 को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष के लिए भारत के रिजर्व बैंक ने बिहार राज्य सहकारी बैंक को केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से कृषि कार्यों हेतु धन सुलभ करने के लिए 428 लाख रुपए की अल्पकालीन ऋण सीमा मंजूर की। इस बात का पता कि वास्तव में कितने रुपए का उपयोग किया गया तथा कितना बकाया रहता है, 30 जून, 1967 के बाद लगेगा।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार सहकारी समितियों को ऋण वितरित करने के लिए सीधे कोई धन नहीं देती है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह सहकारी समितियों के सदस्यों की कृषि उत्पादन से सम्बन्धित ऋण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी वर्ष 1967-68 के लिए ऋण सीमा हेतु सहकारी बैंकों के प्रार्थना-पत्र रिजर्व बैंक को भेजे। जहां तक गैर-सदस्यों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार तकावी ऋण दे सकती है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से आंशिक प्रतिपूर्ति उपलब्ध होगी। केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य सहकारी बैंक की कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार को 50 लाख रुपए (12.5 लाख रु० ऋण, 37.5 लाख रुपए अनुदान) की सहायता भी दी है ताकि सहकारी समितियां अभावग्रस्त क्षेत्रों में काश्तकारों के अतिदेय अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित कर सकें जिससे सदस्य-काश्तकार आने वाले मौसम के लिए नये ऋण प्राप्त करने के हकदार बन जाएंगे।

बिहार में झीलों का विकास

1624. श्री क० मि० मधुकर : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के चम्पारन जिले में पर्यटन सम्बन्धी महत्व की कुछ झीलें और रम्यस्थल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन स्थलों के विकास के लिये कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस दिशा में अब तक कोई कार्यवाही न की जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). बिहार में चम्पारन जिले की पर्यटन सम्बन्धी सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में ऐसे स्थान बड़ी संख्या में हैं जिनकी कि पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने की पर्याप्त संभावना है। लेकिन सीमित साधनों को दृष्टि में रखते हुए इस समय